दिनाक 04.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–04/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत दिये गये आवश्यक दिशा–निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिशनरेट लखनऊ/गौतबद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत व समय–समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों के क्रम में पटाखों आदि की बिक्री/संग्रहण के संबंध में निर्देशित किया गया कि :–

- पटाखों की दुकानों को अस्थायी रूप से लाइसेंस देने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। जिला प्रशासन यह भी देख ले कि दुकानें कहां लगेगी। पटाखों की दुकानों के पास आवश्यक अग्निरोधक उपाय किये जायें, जिससे कि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्यवाही की जा सके।
- आतिशबाजी के भण्डारण/विक्रय/गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाये। पटाखों से संबंधित कार्यस्थलों आदि में पलायन मार्ग/वैकल्पिक पलायन मार्ग/ पहुंच मार्ग आदि जीवन सुरक्षा हेतु वांछित उपायों का परीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- आतिशबाजी, पटाखों आदि के आयात पर विदेशी व्यापार पॉलिसी के अनुसार राजस्व आसूचना निदेशालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार लाइसेंस धारकों को ही आतिशबाजी सामग्री विदेश से आयात किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। बिना लाइसेंस के इस प्रकार के अवैध आयात को भारतीय विदेश नीति के अनुसार रोका जाना आवश्यक है। समस्त अतिशबाजी कम्पनियों को विस्टोफटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के

- अधीन अधिकृत किया जाये। अवैध रूप से संचालित आतिशबाजी निर्माताओं के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी लाइसेंस धारक द्वारा ही भारत निर्मित आतिशबाजी अनुमति के आधार पर विक्रय किया जाये।

- पटाखों आदि की बिक्री/संग्रहण के स्थान पर अग्निशमन की समुचित व्यवस्था की जाये।

- पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्गत विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के स्थायी/अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा शर्तो का उल्लंघन एवं दुरूप्रयोग तथा अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण/निर्माण आदि को रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा .315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.11.2020 को थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढ़ाकर मोड़ से पुरस्कार घोषित अपराधी कपिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना खुर्जानगर में चोरी, गैगेस्टर एक्ट, शस्त्र अधिनियम के 06 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 968/2020 धारा 2/3 गैगेंस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कपिल निवासी मो0 बुद्धबिहार कालोनी कस्बा व थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 तमंचा .315 बोर, 02 जीवित कारतूस

जनपद मेरठ/थाना ब्रहमपुरी

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **01 चोरी की कार, 01 अन्य कार, 02 अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद**

दिनांक 03–11–2020 की रात्रि थाना ब्रहमपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में बिजली बम्बा बाईपास पर कार सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी

साकिब उर्फ गद्दु सहित अन्य अभियुक्त मो0 सायम घायल हो गये,जिन्हे गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी की 01 कार, 01 अन्य कार, 02 अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए। घायल अभियुक्तो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त साकिब शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद मेरठ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त मो0सायम के विरूद्व जनपद मेरठ मे हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त साकिब थाना ब्रहमपुरी के अभियोग में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना ब्रहमपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साकिब उर्फ गद्दू निवासी मकान नम्बर 84, गंज बाजार थाना सदर बाजार जनपद मेरठ।

2— मो0 सायम उर्फ कुतिया निवासी सोती गंज थाना सदर बाजार जनपद मेरठ ।

बरामदगी

1—01 चोरी की कार, 01 कार, 02 अवैध शस्त्र व कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.11.2020 को थाना रामकोला पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर परोरहा चौराहा नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी राकेश उर्फ बीरबल को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना रामकोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राकेश उर्फ बीरबल नि0 सिसवा दिगर थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

<u>जनपद हरदोई/थाना को0 शहर</u>

- **20–20 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 04.11.2020 को थाना को0 शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना को0 क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी 1–ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू 2–आकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना को0 शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 530/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20–20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना को0शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू नि0 कन्हई पुरवा थाना को0 शहर हरदोई।

2–आकाश नि0 म्योनी थाना सुरसा जनपद हरदोई।

जनपद सिद्धार्थनगर / थाना त्रिलोकपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद**

दिनांक 03/11/2020 की रात्रि थाना त्रिलोकपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एकडंगा गांव के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे शातिर अभियुक्त समसुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 14 निर्मित/ अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण व पूर्जे बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. समसुद्दीन निवासी छेगड़िहवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी–

1. 14 निर्मित/ अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र।
2. शस्त्र बनाने के उपकरण व पूर्जे।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **लूट की घटना का अनावरण, 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 12 लाख 13 हजार 650 रूपये नगद,**
- **लूट के 01 मोबाइल फोन, 01 अदद चैन सोने की व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **02 अदद तमंचा विभिन्न बोर व 3 अदद जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04–11–2020 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फुटहिया मोड़ के पास से 04 शातिर अभियुक्तो 1–अजय 2–पवन 3–सोनू कुमार 4–डब्लू उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 12 लाख 13 हजार 650 रूपये नगद, लूट के 01 मोबाइल फोन, 01 अदद

चैन सोने की व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अदद तमचां विभिन्न बोर व 3 अदद जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.10.2020 को गल्फ टेक्निकल इन्स्टीट्यूट सिंघड़िया में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 1305/2020 धारा 395/412/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी महुआबारी थाना जीरादेई जनपद सिवान, बिहार।

2–पवन निवासी करहनु थाना जीरादेई जनपद सिवान, बिहार।

3–सोनू कुमार निवासी भादाखुर्द थाना मुफस्सिल जनपद सिवान, बिहार।

4–डब्लू यादव उर्फ प्रमोद यादव निवासी जियांव थाना मुफस्सिल जनपद सिवान, बिहार।

बरामदगी

1– लूट के 12 लाख, 13 हजार, 650 रूपये नगद,

2– लूट के 01 मोबाइल फोन, 01 अदद चैन सोने की व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल।

3– 02 अदद तमंचा विभिन्न बोर व 3 अदद जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़

- **लूट की घटना का अनावरण, 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 92 हजार, रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन,**
- **02 अवैध तमंचा .315 बोर व 4 जीवित कारतूस**

दिनांक 04—11—2020 को थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर बनखण्ड़ा से रसूलपुर मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते से 02 अभियुक्तो 1—अकिंत, 2—संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 92 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, व 02 अवैध तमचां .315 बोर व 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, अभियुक्तों से बरामद माल बाबूगंज थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 397/2020 धारा 392 भादवि से संबंधित है।

इस संबंध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अकिंत नि0 ग्राम लालपुर थाना हापुड़ जनपद हापुड़।

2—संदीप नि0 ग्राम लालपुर थाना हापुड़ जनपद हापुड़। ।

बरामदगी

1—लूट के 92 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

2—02 अवैध तमचां .315 बोर व 04 जीवित कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना चॉदपुर

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.11.2020 को थाना चॉदपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दरवाडा से पुरस्कार घोषित अपराधी शाहिद को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर गैगेंस्टर एक्ट, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना चॉदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 56/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना चॉदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहिद नि0 मौहम्मदाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 04.11.2020 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगीना फाटक से पुरस्कार घोषित अपराधी अवनीश उर्फ रिन्कू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर रंगदारी, गैगेंस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना मण्डावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अवनीश उर्फ रिन्कू नि0 ग्राम नसीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना मिर्जापुर

- **10—10 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 03 अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध देशी बन्दूक, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद**

दिनांक 04.11.2020 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आजाद नगर तिराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी 1—कल्लू 2— रियासुद्दीन, 3—मो0 उमर उस्मानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध देशी बन्दूक, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार तीनो अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 10—10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मिर्जापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कल्लू नि0 पैलानी दक्षिण थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद, मूल निवासी रसिया खानपुर थाना बिसलपुर जनपद पीलीभीत।

2—रियासुद्दीन निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

3—मो0 उमर उस्मानी निवासी मोहल्ला उल्फतनगर कस्बा व थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध देशी बन्दूक, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर।

———